पत्र प्रक्रम...

16/4/2024

पत्रा. पेश हुई। बक 34-1 प्रार्थना-पत्र धारा अन्तर्गत 151 जा.दी. के तहत बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील का कथन है कि प्रतिवादी सं. 8 ने अतराजेदं से खसरा नम्बर 319, 320, 321, 504, 507, 570, 583, 598 किता 8 कुल रकबा 2.04 हिस्सा 1/8 हिस्सा प्रार्थिया ने जरिये रजि. बयनामा खरीद किया था। जिसका देहान्त हो चुका है। उक्त खसरा नम्बरान का नामा. भी खुल चुका है। लेकिन जमाबंदी में अमल नहीं हुआ है। जिसके कारण अब प्रार्थिया ने न्यायालय में एक नया दावा पेश किया है। अतः नये दावा के निस्तारण तक इस दावा को ~~स्थगित~~ स्थगित किया जावे। अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश न कर मौखिक बहस की गई। अप्रार्थी वकील का कहना है कि वादी प्रार्थी को पहले से पक्षकार बनाया जा चुका है अब नया दावा प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

हमने बहस को सुना। मनन किया तो पाया कि प्रार्थिया ने विवादित खसरा नम्बरान को जरिये बयनामा खरीद किया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दावा को मूल दावा ~~मुख्त~~ मुख्तयारी बनाम ~~राजेश~~ के साथ कन्सोलिडेट किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 88/2019

किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

जीसीएमएस नंबर 2019/000164

निर्णय दिनांक.........17/04/2025

1. नाहर सिंह पि. कलुआराम जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. महाराज सिंह पि. कलुआराम जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. वेदप्रकाश पि. कलुआराम जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर

वादी

बनाम

1. दौजी पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. सीताराम (मृतक)

 2/1 हरदेई पत्नि सीताराम जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर

 2/2 विक्रम सिंह पि० सीताराम जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर

 2/3 पवन पि० सीताराम जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर

 2/4 गुड्डी पुत्री सीताराम जाति जाट निवासी पारतू तहसील डीग जिला डीग

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
नदबई भरतपुर (राज.)

17/4/25
उप जिला कलेक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

2/5 मनता पुत्री सीताराम जाति जाट निवासी पारतू तहसील डीग जिला डीग

2/6 सन्तोष पुत्री सीताराम जाति जाट निवासी पारतू तहसील डीग जिला डीग

2/7 अनीता पुत्री सीताराम जाति जाट निवासी पारतू तहसील डीग जिला डीग

2/8 नीरज पुत्री सीताराम जाति जाट निवासी देशवाल का नगला तहसील डीग जिला डीग

3. शांति पत्नि छिद्दी जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

असल पक्षकार

5. राकेश पि0 अतरसिंह जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. राजेश पि0 अतरसिंह जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. रामवती वेवा अतरसिंह जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर
8. दिव्यांशु पुत्र राजेन्द्र नाबालिग बली सरपरस्त माता खुद प्रतिभा पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर
9. धर्मवीर पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. प्रतिभा पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. बनैसिंह पुत्र कल्यानसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. मुखत्यारी पत्नि भगवानसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।
13. रामवीर पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।
14. हरवीर पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।
15. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक नदबई।

प्रमाणित फोटो प्रति

उपखण्ड अधिकारी एण्ड उपखण्ड मजिस्ट्रेट नदबई भरतपुर (राज.)

17/4/25

16. एस.बी.बी.जे शाखा नदबई।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— श्री भगवान सिंह फौजदार वकील वादी

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टएक्ट के तहत इस आशय का पेश किया गया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है कि—

1. यह है कि खातेदार अतरसिंह की मृत्यु हो चुकी है। उसके स्थान पर उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। तथा तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 8 नावालिग है। जिसका वली सरपरस्त उसकी माता प्रतिभा को बनाया गया है। तथा शेष प्रतिवादीगण व वादीगण बालिग है। ।
2. यह है कि विवादित आराजी खाता संख्या 322 के खसरा 615/0.39, 618/0.24, 620/0.30 वाके ग्राम रायसीस में स्थित है। विवादित आराजी में साबिक रिकॉर्ड जमाबंदी संख्या 2063 से 2066 में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक 1/20 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा वादीगण की माता करतारी वेवा कलुआ भी 1/20 हिस्से की खातेदार थी। तथा वादीगण के चाचा राधेश्याम विवादित आराजी मे 4/20 हिस्सा दर हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार दर्ज थे। लेकिन वादीगण के चाचा राधेश्याम की कोई संतान न होने के कारण राधेश्याम पुत्र रामसिंह ने अपने सम्पूर्ण 4/20 हिस्सा दर हिस्सा 1/2 को वादीगण के हक में दिनांक 20.08.2008 को वाहिस्सा बराबर करवा दिया । तथा इस रिलीज डीड का इन्तकाल संख्या 517 दिनांक 22.11.2008 से वादीगण के हक में अमल हो चुका हे। तथा इसी जमाबंदी में वादीगण की माता मु. करतारी वेवा कलुआ भी 1/20 हिस्सा दर हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार दर्ज थी। तथा माता की भी

17/4/25

मृत्यु हो चुकी है। तथा माता की मृत्यु होने के बाद माता का 1/20 हिस्सा दर हिस्सा 1/2 भी वादीगण के हक में चढ चुका है। इस प्रकार प्रत्येक वादी को 1/20 हिस्सा विरासत से, 1/15 हिस्सा चाचा रिलेजिन से रिलीज डीड से व 1/60 माता करतारी से विरासत में यानि दर हिस्सा 1/2 के मुताबिक प्रत्येक वादी को 2/15, 2/15 हिस्सा खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। तथा दर हिस्सा 1/2 को समाप्त करके अब हाल जमाबन्दी में प्रत्येक वादी उक्त तीनो हिस्सों को जोडकर 1/15, 1/15, 1/15 हिस्से के दर्ज होने चाहिए थे। लेकिन वादीगण को 1/30, 1/30 हिस्से का खातेदार सहवन से दर्ज कर रखा है। तथा वादीगण के कम हुए हिस्से 1/5, 1/5 को प्रतिवादीगण के हिस्सा में जोड रखा है। जो गलत है। जबकि प्रतिवादीगण असल संख्या 1 लगायत 3, 2/15 के बजाय 1/10, 1/10, 1/10, के खातेदार काश्तकार दर्ज होने चाहिए थे। ऐसी स्थिति में वादीगण के हिस्से को दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है।

3. यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के भाई कुमरसिंह ने अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/15 को प्रतिवादनी संख्या 3 शांति को विक्रय कर दिया जिसमें वादीगण का बढा हुआ हिस्सा 1/5 भी शमिल है। इसलिए वादीगण प्रतिवादनी संख्या 3 को कुमरसिंह द्वारा हिस्से से अधिक विक्रय की गई 1/5 हिस्से की आराजी को अपने हिस्से में दर्ज करा पाने की अधिकारी है। जिससे वादीगण का हिस्सा दुरूस्त हो सके ।

श्रीमानजी से प्रार्थना है कि दावा वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह है कि विवादित आराजी में साबिक रिकॉड के आधार पर प्रतिवादीगण असंल संख्या 1 लगायत 3 के 2/15, 2/15 अधिक हिस्से को दुरूस्त कर 1/10, 1/10 हिस्से का दर्ज किया जावे। व वादीगण के हाल में दर्ज 1/30, 1/30 हिस्से में प्रतिवादीगण के बढे हिस्से 1/5, 1/5

प्रमाणित फोटो प्रति
उपखण्ड अधिकारी एण्ड उपखण्ड मजिस्ट्रेट नदबई भरतपुर (राज.)

17/4/25

हिस्सा को वादीगण के हिस्सा में जोड़कर 1/30, 1/30 के स्थान पर 1/15, 1/15 हिस्से को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा वादी वर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण बामजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 नाहरसिंह , पी0डब्लू0 2 वेदप्रकाश, पी0डब्लू0 3 राजेश के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी 2075–78 नकल रिलीज डीड फोटो प्रति दिनांक 20.08.2008 एवं नकल सत्यप्रति नामान्तरण संख्या 517, नकल बयनामा दिनांक 26.09.2012 एवं नकल सत्य प्रतिलिपि दाखिला खारिज संख्या 656 वाके ग्राम रायसीस पेश किये गये।

वकील बहस वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावे में वर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने बहस वकील वादी पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड रायसीस तहसील नदबई में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी संवत 2063 से 2066 विवादित आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/20–1/20 है। राधेश्याम ने अपने सम्पूर्ण 4/20 हिस्सा दर हिस्सा 1/2 को वादीगण के हक में दिनांक 20.08.2008 को वाहिस्सा बराबर करवा दिया। तथा इस रिलीज डीड का इन्तकाल संख्या 517 दिनांक 22.11.2008 से वादीगण के हक में अमल हो चुका है तथा माता की भी मृत्यु हो चुकी है। तथा माता की मृत्यु होने के बाद माता का 1/20 हिस्सा दर हिस्सा 1/2 भी वादीगण के हक में चढ चुका है। इस प्रकार प्रत्येक वादी को 1/20 हिस्सा विरासत से, 1/15 हिस्सा चाचा राधेश्याम से रिलीज डीड से व 1/60 माता करतारी से विरासत में यानि दर हिस्सा 1/2 के मुताबिक प्रत्येक वादी को 2/15, 2/15 हिस्सा खातेदारी मे दर्ज होना चाहिए था। तथा अपने आपको राजस्व रिकॉर्ड में वाहिस्सा बराबर खातेदार

17/4/25

काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी है। अतः दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी में सार्बिक रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिवादीगण असंल संख्या 1 लगायत 3 के 2/15, 2/15 अधिक हिस्से को दुरूस्त कर 1/10, 1/10 हिस्से का दर्ज किया जावे व वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादीगण के हाल में दर्ज 1/30, 1/30 हिस्से में प्रतिवादीगण के बढे हिस्से 1/5, 1/5 हिस्सा को वादीगण के हिस्सा में जोड़कर 1/30, 1/30 के स्थान पर 1/15, 1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/4/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/4/25

(गंगाधर मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

नदबई (भरतपुर).